न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 207/2025

प्रार्थीगण

1. बांकाराम पुत्र लुम्बाराम
2. टीकमाराम पुत्र लुम्बाराम

वयस्क जातियान जाट निवासीयान टाकूबेरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हुकमाराम पुत्र भैराराम वयस्क
2. दूर्गाराम पुत्र भगवानाराम वयस्क
3. दलाराम पुत्र भगवानाराम वयस्क
4. मूकनाराम पुत्र भगवानाराम वयस्क
5. वीरमाराम पुत्र भगवानाराम वयस्क

जातियान जाट निवासी टाकूबेरी तहसील सिगाधरी जिला बालोतरा।

6. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी
7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, वकील विप्राथी सं. 1,2 व 4 की ओर से।

2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(तहसील कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 07 की ओर से उपस्थित। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 17.02.2026

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 481/233 रकबा 0.9758 हैक्टयर ग्राम टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा संख्या 227 रकबा 8.1146 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 2 से 5 के खेत खसरा संख्या 229 रकबा 2.1519 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में भारी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम टाकूबेरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 227 व 229 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 , व 4 की तरफ से वकील श्री भंवरलाल सारण द्वारा उपस्थित होकर आवेदन खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रसतुत किया। विप्रार्थी संख्या 07 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 6 बावजूद नोटिस तामिल के जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 481/233 रकबा 0.9758 हैक्टयर ग्राम टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा संख्या 227 रकबा 8.1146 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 2 से 5 के खेत खसरा संख्या 229 रकबा 2.1519 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम टाकूबेरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 227 व 229 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी ने अपनी ओर से आवेदन की इस्तदुआ के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए बहस के तथ्यों में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में चाही गई इस्तदुआ की पूर्ति हेतु दायर आवेदन के

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तथ्यों का वर्तमान में पूर्ति हो चुकी है। कि प्रार्थी के खातेदारी खसरे की भूमि के लिए विप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को समर्पण के जरिये स्थायी रास्ते के रूप में जोड़ा जा चुका है। कि समर्पित कटाण मार्ग का राजस्व रेकर्ड में भी अंकन हो गया है तथा नया खसरा संख्या 498/227 कायम हो चुका है, जो कि सलंग्न परिशिष्ट–ब अनुसार प्रदर्शित है। ऐसी स्थिति में जब जिस इस्तदुआ हेतु आवेदन पेश है वह राहत विप्रार्थी ने स्वयंमेच दे दी है तो अब कोई वाद कारण अस्तित्व में नहीं होने से आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

हमनें उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा बिलासर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 481/233 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच ग्राम टाकूबेरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 227 खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि जरिये समर्पण सलंग्न परिशिष्ठ–ब अनुसार जोड़ा गया है, परन्तु वह समर्पित भू–भाग राजस्व रेकर्ड के खाता सं. 1 में दर्ज है जिसकी किस्म बा. दो. है। जहां तक विधि का विधान है कि जब कोई आवेदनकर्ता स्वयं के नाम की खातेदारी जोत से सड़क मार्ग तक किसी प्रकार से कटाण मार्ग के माध्यम से जुड़ गया हो तो ऐसी स्थिति में वह नियमानुसार अधिनियम के प्रावद्यानानुसार नया रास्ता पाने का हकदार नहीं है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र वर्तमान परिस्थिति अनुसार सारहीन होने से खारिज करते हुए, जहां तक प्रार्थी की इस्तदुआ की पूर्ति हेतु विप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से आवागमन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए समर्पित भूमि बाद नवीन दायर खसरा संख्या 498/227 की किस्म बा.दो के स्थान पर गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी को इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र तथ्यहीन एवं विधिविरूद्व होने से खारिज किया जाता है।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 17.02.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी